हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 9 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2018

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

वसुन्धरा राजे ने किया चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन

समता आन्दोलन का प्रचण्ड विरोध

आरक्षित वर्ग को रोस्टर से ज्यादा पदों पर वरिष्ठता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मामला

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, राज्यपाल महोदय एवं मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र लिखकर कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प0 7(3) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 05.10.2018 को रिव्यू करने एवं स्थगित करने के अविधिक आदेशों को रूकवा कर श्रीमती वसुन्धरा राजे को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में निवेदन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा बजरंग लाल शर्मा के प्रकरण में दिये गये निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूरजभान मीणा एवं वी. के. पवित्रा एवं जरनैल सिंह के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों की पालना करते हुए कार्मिक विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 05.10.2018 को उपरोक्त स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया था। हमें जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा अनुसूचित जाति के श्री महावीर प्रसाद वर्मा जैसे 4-5 जातिवादी आर.ए.एस अधिकारियो से साठ-गाँठ करके, अनुसूचित जाति वर्ग के मतों की सौदेबाजी करते हुए, उपरोक्त विधिसम्मत, न्यायसम्मत एवं संवैधानिक आदेश को चुनाव आचार-संहिता के दौरान अविधिक रूप से पुनरावलोकन के बहाने स्थगित करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती वसुन्धरा राजे का यह कृत्य अविधिक, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और न्यायपालिका की अवमानना होने के साथ चुनाव आयोग की आचार-संहिता का खुला उल्लंघन है।

इस ज्ञापन के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 20 ऐसे वर्तमान विधानसभा प्रत्याशियों के शपथ-पत्रों की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई हैं जो यह प्रकट करते हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के राष्ट्रवादी नागरिक पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने और अजा/अजजा वर्ग से क्रीमीलेयर को बाहर करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अक्षरशः क्रियान्वित करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे अच्छी तरह जानती हैं कि उनका उपरोक्त कृत्य पूरी तरह अविधिक एवं अनुचित है फिर भी वें चुनाव के दौरान जातिगत वैमनस्य फैलाकर, चुनाव के दौरान अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके वोटों का जातिगत आधार पर अविधिक ध्रुवीकरण करके स्वयं चुनाव जीतना चाहती हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को अविधिक लाभ पहुँचाना चाहती हैं। उनका यह कृत्य प्रदेश के 7 लाख निष्ठावान एवं कर्मठ कर्मचारियों के साथ खुला अन्याय है, चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने वाला है और उनके कानून व संविधान से ऊपर होने के अहंकार को दर्शाने वाला है। अतः पत्र में निवेदन किया गया है कि-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायलय के उपरोक्त निर्णयों की पालना करवाने वाले कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 कि क्रिन्यावित 7 दिवस के भीतर करवायी जा कर सभी विभागों में 01.04.1997 से रिव्यु डी.पी.सी करवाई जावे।
2. माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा उपरोक्त विधिसम्मत आदेश दिनांक 05.10.2018 को रोकने के अविधिक आदेश को निरस्त करवाया जावे।
3. श्रीमती वसुन्धरा राजे का राजस्थान में कहीं से भी भरा गया नामांकन निरस्त करवाते हुए इन्हें आगामी छःवर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जावे।

एक मामला, दौहरा रवैया

पालना के लिए साढे 7 माह, रोकने पर 9 दिन में निर्णय

पदोन्नति व पारिणामिक वरिष्ठता को लेकर समता आन्दोलन समिति व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट आदेश दे चुका, लेकिन पालना नहीं होने से न्यायपालिका का अपमान हो राह है। सरकार का रवैया जातिवाद की पराकाष्ठा है और 8 लाख कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति

आचार संहिता के बीच भी कार्मिक सचिव से मुख्यमंत्री तक सरपट दौड़ी फाइल

यह है मामला

पदोन्नति पर रोस्टर से अधिक पदों पर आरक्षित अधिकारियों को वरिष्ठता के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की पालना के लिए प्रदेश में फाइल साढे सात माह चली, जबकि पालना रोकने के लिए कार्मिक सचिव से मुख्यमंत्री तक की सहमति आचार संहिता के बीच केवल नौ दिन में ही मिल गई।

आरक्षित वर्ग के अधिकारियों के दवाब में सरकार आचार संहिता से एक दिन पहले जारी आदेश को जल्द ही वापस लेने की तैयारी कर रही है। सरकार डा0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिवेशन की ओर से 5 नवम्बर को दिए गए ज्ञापन के बाद बैकफुट पर आ गई है। इस ज्ञापन ने सरकार में साढे सात माह तक चली फाइल पर विभिन्न अधिकारियों की सहमति पर सवाल खड़ा कर दिया है, कार्मिक सचिव ने ज्ञापन के बाद यू टर्न के लिए चलाई फाइल में खुद कहा है कि रोस्टर पांइट से अधिक पदों पर पदोन्नत आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता से रोकने को लेकर कई कानूनी बिन्दू उठे है। इसे देखते हुए विधि विभाग से पुनः परीक्षण कराया जाना है, ऐसे में पांच अक्टूबर 18 के आदेश की पालना रोकना प्रस्तावित है। ज्ञापन के आधार पर पालना रोकने के प्रस्ताव पर सहमति के लिए कार्मिक सचिव ने 6 नवम्बर को फाइल चलाई, जिस पर मुख्य सचिव ने उसी दिन सहमति दी और विधि विभाग से पुनः परीक्षण पर सहमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाने को कहा। 15 नवम्बर को इस प्रस्ताव पर सी.एम के हस्ताक्षर हो गये।

अनुसूचित जाति से होने के बावजूद प्रवासी को आरक्षण का लाभ नहीं : सुप्रीम कोर्ट

राहत नहीं: तीन जजों की पीठ का फैसला

नई दिल्ली। किसी एक राज्य के अनुसूचित जाति के शख्स को दूसरे राज्य में (जहां व प्रवासी है) इस आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता कि वहां भी उसकी जाति, अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। तीन जजों की पीठ ने यह बात कही। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने यह निर्णय 2013 में दो जजों की खंडपीठ द्वारा भेजे गये संदर्भ को निपटाते हुए सुनाया। पीठ ने कहा कि किसी प्रवासी को प्रवास वाले राज्य की अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया जा सकता। पीठ ने आदेश में कई फैसलों का हवाला भी दिया। कोर्ट ने मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज व अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यसमिति (महाराष्ट्र) बनाम भारतीय संघ के मामलों में सुनाए गए अपने फैसलों का हवाला दिया।

यह था मामला

पंजाब की रंजना कुमारी वाल्मीकि समुदाय से है। उनकी शादी उत्तराखंड में वाल्मीकि समुदाय के ही एक शख्स से हुई। दोनों राज्यों में वाल्मीकि समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। रंजना ने उत्तराखंड में जिला सूचना अधिकारी के आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन आवेदन इस आधार पर खारिज हो गया कि वह पंजाब के वाल्मीकि समुदाय से हैं। रंजना ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा कि अनुसूचित जाति से होने का लाभ सीधे जन्म से जुड़ा है और कोई भी शख्स आरक्षण के लाभ का दावा केवल उसी राज्य में कर सकता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। दूसरे राज्य में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता जहां वह प्रवासी है।

सम्पादकीय

भगवान भरोसे चारों पाये

भारत था। भारत है और ..... भारत होगा? भविष्य के प्रति आशंका का भाव मोटे तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। अनेक लोग इसे निगेटिव थिंकिंग भी कह डालते हैं। लेकिन तथ्य अपनी जगह हमेशा तथ्य ही रहा करते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत था भी और नहीं भी। धरती के दो प्रतिशत टुकड़े को देश कहा तो जाता था लेकिन 642 रियासतों में बंटे विदेशी चाबुक से हांका जाने वाला एक ऐसा बैल था जो आंखों पर पट्टी बांधे एक ही जगह घूमते रहने को विवश था। दैवयोग से अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों और महात्मा गांधी के अहिंसक उद्घोष ने अंग्रेजों को विवश किया तो नये संवैधानिक भारत का उदय तो हुआ लेकिन तीन टुकड़े होकर। फिर भी धरती पर पहली बार भारत था से है की श्रेणी में आया।

आज आजादी के सत्तर साल बाद यह प्रश्न मन को डराता है कि भविष्य में भारत रह भी पायेगा? कई बार कहने-सुनने को मिलता है कि समझौते के तहत अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पर देश को आजाद किया है। इसे एक तरफ रखकर भी यदि विचार करें तो मन सहम जाता है। देश में दलीय लोकतंत्र का जैसा दिवाला निकला है उसे देखते हुए भविष्य के प्रति आशंका को निर्मूल नही माना जा सकता है। ऊपर से सुरसा मुख की तरह बढती जनसंख्या हर आदर्श व नीति-नियमों को बनते ही निगल जाती है।

दिवालिया नेतृत्व येन-केन प्रकारेण सत्ता का उपभोग करना चाहता है क्योंकि सत्ता का जनहित में उपयोग करने वाले नेता और दल अब नहीं के बराबर हैं। न जाने ये कैसे हो रहा है कि सारा नेतृत्व जातिवाद मिटाने के नाम पर इसे बढाता चला जा रहा है। देश की सारी समस्याएं जातिवाद के सामने गौण हो गई हैं। यहां तक कि मोहन भागवत जैसे लोग जो कभी विचारक हुआ करते थे, अब मात्र प्रचारक के दायरे में सिमट कर रह गये हैं। पूरी कथित कांग्रेस कोई भी तरीका अपनाकर मात्र राहुल को प्रधानमंत्री बना देना चाहती है। इसी तरह आर एस एस के डी एन ए का क्लोन भारतीय जनता पार्टी बार-बार अपनी नाकामियों पर रोने वाले नरेन्द्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना देना चाहती है। चाहे इसके लिए भारत को ही बलि का बकरा क्यों न बनाना पड़े?

देश का जन ठगा-ठगा सा अपने सुख के रास्ते खोजना चाहता है। परन्तु अनैतिकता और संविधानहीनता के से हालातों में बार-बार आभास होता है कि पूरा सिस्टम ही मानों फैल हो चुका है। सीधी-साधी जनता को भयभीत करके हांकने के लिए काल्पनिक भ्रष्टाचार का ऐसा हौआ खड़ा कर दिया गया है कि जैसे देश के सामने इससे बड़ा कोई संकट है ही नहीं। इस भय के वातावरण को बनाऐ रखने के लिए बार-बार जातिवाद के सॉप को पिटारे से बाहर निकाला जाता है।

एक समय था जब इसी देश में जनप्रतिनिधी जनता के सेवक हुआ ही नहीं करते थे वरन् प्रमाणित दिखाई भी देते थे। आज पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी भी जनसेवक को ढूंढ निकालना एक जटिल काम हो गया है। कथित लोकतंत्र पूरी तरह भगवान के भरोसे है और चारों पाये निरूपाय होकर केवल और केवल जातिवाद को चौराहे पर नाचता देखने का भ्रष्टाचार करने में मगन हैं। यदि यही हाल रहा तो संभव है 30 सालों के अन्दर ही आज का भारत फिर से आजादी के पहले का भारत बन जाये। इस आशंका को निर्मूल कहना आसान नहीं हैं।

– योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षित सीटों पर सामान्य लोगों ने भरे नामांकन

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित रूप से आरक्षित सीटों पर तीन नामांकन पत्र सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा दाखिल किये गये। सबसे पहले तिजारा से राजसिंह शेखावत जो कि जातिवाद का विरोध करने सिंगापुर से भारत आये है ने नामांकन दाखिल किया। फिर 19 नवम्बर को बगरू विधानसभा सीट से योगेश्वर नारायण और राजसिंह शेखावत ने अपने नामांकन दाखिल किये।

सरकारी मशीनरी ने कई तरह की बहानेबाजी की लेकिन आखिर सामान्य वर्ग के लिये निर्धारित दस हजार रूपये फीस देकर नामांकन जमा किये गये। हालांकि जाति प्रमाणपत्र न होने से तीनों नामांकन निरस्त हो गये। अब निरस्त नामांकनों के आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जायेगा।

समता आन्दोलन के छः राष्ट्रवादी प्रस्तावों पर शपथपत्र देकर मैदान में खम ठोकने वाले सिपाही

डा० भूपाल महावर
वैर (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

अन्तिमा मीणा
बामणवास (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP की प्रत्याशी

हरिशंकर भील
मनोहरथाना (सामान्य) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

कालूलाल भील
किशनगंज (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

संग्राम सिंह भील
बस्सी (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

महावीर मेघवाल
केशोराय पाटन (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

महेश वाल्मिकी
बयाना (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

मीनाक्षी मीणा
राजगढ-लक्ष्मणगढ (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP की प्रत्याशी

मोनूराम कोली
कठूमर (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

सवाईनाथ सपेरा
अलवर ग्रामीण (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

राजपाल लोटिया
रायसिंह नगर (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

योगेश खीची
बगरू (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

राकेश मीणा
टोडाभीम (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

रामदास महामना
बसेडी (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

रामप्रवेश डाबला
जमवारामगढ (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

जगदीश भाम्भी
अजमेर दक्षिण(अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

रामजीलाल कोली
खंडार (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र से BRSP के प्रत्याशी

सभी समता कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इन सभी प्रत्याशियों को तन-मन-धन से सहयोग करें। जो इन विधानसभा क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं वे यदि संभव हो तो इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सहयोग करें।

पौराणिक कथन : 'गोलोक'

पुराणों के अनुसार सप्त पुरियों और तीन लोकों से ऊपर भगवान विष्णु का निवास जहाँ सुरभि (कामधेनु) गऊ रहती है।

लोकतंत्र में राजवंश सब,
चौराहे पर नाच रहे हैं।
सभी सभासद बड़ी सभा के,
उल्टी पोथी बांच रहे हैं।।

कविता

विश्वासों के घाट उजड़ते

लोकतंत्र के ढोल नगाड़े,
चौराहे पर गूंज रहे है।
जातिवाद के रक्तबीज से,
देशभक्त सब जूझ रहे हैं।
राजा सारे वस्त्र खोलकर,
राजपथों पर घूम रहा है।
नन्हा बालक बिन बचपन का,
काल देखकर झूम रहा है।
माताओं की मधुर लोरियाँ,
सब दूजे से बूझ रहे हैं.....।
लोकतंत्र के ढोल नगाड़े,
चौराहे पर गूंज रहे है।
जातिवाद के रक्तबीज से,
देशभक्त सब जूझ रहे हैं।
धरती के सारे चौराहे,
हर रस्ते की एक कहानी।
विश्वासों के घाट उजड़ते,
नहीं बचा आंखों का पानी।
सबके हाथों में पतवारें,
पर लहरों से जूझ रहे हैं.....।
लोकतंत्र के ढोल नगाड़े,
चौराहे पर गूंज रहे है।
जातिवाद के रक्तबीज से,
देशभक्त सब जूझ रहे हैं।
जहाँ-जहाँ तक नजरें जाती,
सबके भावों सूखापन है।
कूप तड़ाग सरोवर सारे,
सबमें दिखता भूखापन है।
अंधों को भी चाव चढ़ा है,
हाल सिनेमा पूछ रहे हैं.....।
लोकतंत्र के ढोल नगाड़े,
चौराहे पर गूंज रहे है।
जातिवाद के रक्तबीज से,
देशभक्त सब जूझ रहे हैं।

: मधु शर्मा :

मिशन-59 के प्रत्याशियों ने क्रीमीलेयर को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की

जयपुर। एक विशेष घटनाक्रम में समता आन्दोलन द्वारा समर्थित मिशन-59 के सतरह प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत प्रस्तुत करके मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्रीमीलेयर के लोग आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते है। समता आन्दोलन के इस संवैधानिक कदम से जहाँ सरकारी अमल असमंजस में है वही क्रीमीलेयर में आने वाले पूर्व एम.एल.ए, पूर्व एम.पी, पूर्व आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस सकते में है।

योग्यता के सौदागर

गतांग से आगे:-

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर तो यहाँ तक कहते हैं कि "अनुसूचित जाति के कर्मचारी उच्च पदों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वे उस समस्या का सामना स्वयं कर चुके हैं, जिसे दूर किया जाता है; और व्यावहारिक अनुभव(सैद्धांतिक) परीक्षा की अपेक्षा योग्यता का बेहतर मूल्यांकन कर सकता है। याद रहे, यहाँ जिन पदों की बात चल रही है, उनका संबंध रेलवे से है, जिसका मुख्य कार्य रेलगाड़ियाँ चलाना है। उच्च स्तर पर इसका मुख्य कार्य एक विशाल संगठन-जो विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है-को संचालित करना है। लेकिन लगता यह है कि यहाँ जरूरत है तो बस सहानुभूति की।

"मौलिक प्रश्न यह उठता है कि आखिर 'योग्यता' या 'उपयुक्तता' क्या है।"- माननीय न्यायाधीश कहते हैं।"यदि हम एक ऐसे 'सेवा राज्य'(मतअपब जंजम)की परिकल्पना करना चाहते हैं, जिसमें लाखों-की परिकल्पना करना चाहते हैं, जिसमें लाखों-करोड़ों लोग उपभोक्ता के रूप में हैं तो उसके अंतर्गत सरकारी व्यवसाय अथवा कामकाज चलाने के लिए आभिजात्य वर्ग- जिसकी आम जनता के प्रति सहानुभूति मर चुकी है-सबसे कम योग्य और उपयुक्त है। संवेदनशील हृदय और गतिशील मस्तिष्कवाला एक व्यक्ति आम जनता के दुःखों को समझ सकता है और इस प्रकार वह देश के विकास-कार्यों में तेजी ला सकता है। सच्ची निष्ठा और बौद्धिक कुशलता ही 'योग्यता' अथवा 'उपयुक्तता' के प्रमुख घटक हैं, न कि ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज, हार्वर्ड अथवा स्टैनफोर्ड आदि संस्थाओं से प्राप्त की गई उपाधियाँ।"

जी हाँ, और इन न्यायाधीशों को पहले से ही ऐसी अनुभवजन्य जानकारी होगी कि आरक्षण की बैसाखी पकड़कर जिन्हें सेवा में नियुक्त किया जा रहा है, उनके पास 'सच्ची निष्ठा और बौद्धिक कुशलता' जिन्हें सेवा में नियुक्त किया जा रहा है, उनके पास 'सच्ची निष्ठा और बौद्धिक कुशलता' की ऊँची उपाधि है।

"दुर्भाग्य से हमारी चयन-प्रक्रिया विकृत है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य-जो जन्म के बाद से ही भारत में व्याप्त दुःखद स्थितियों के पीड़ादायक अनुभवों में जी चुके होते हैं-अन्य लोगों-जो सुखद परिस्थितियों से निकले होते हैं और इस कारण पीड़ित मानवता के प्रति कठोर प्रवृत्ति रखते हैं-की अपेक्षा अधिक योग्य और सक्षम होते हैं।" न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर निस्संकोच होकर कहते हैं। और फिर, दुःख प्रकट करते हुए वह आगे कहते हैं कि "हम लोगों का चयन परीक्षा के माध्यम से जरूर करते हैं, लेकिन यह परीक्षा त्रुटिपूर्ण है। हमारी परीक्षा-प्रणाली ऐसी हैं, जिसमें याददाश्त ही योग्यता का निर्धारक कारक है और रचनात्मकता की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।" जी हाँ,यहाँ भी इन न्यायाधीशों के पास ऐसी कोई अनुभवजन्य

> अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

जानकारी पहले से मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर वे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आरक्षण की वैसाखी के सहारे सेवा में नियुक्त होने वाले सदस्यों के पास ज्यादा रचनात्मक है। और फिर समस्या को भविष्य के हवाले कर देने की एक नई तरकीब-"हमें इन क्षेत्रों में जाने की आश्यकता नहीं है, जहाँ प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवश्यक गुणों-योग्यताओं के मूल्यांकन को भी एक बुनियादी रूपांतरण को ही पूर्णता के रूप में माना जाता है। यह राष्ट्रीय बहस का विषय हो सकता है।"

जी हाँ, अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

माननीय न्यायाधीश की बात यही समाप्त नहीं हो जाती। वह पूरे जोर से कहते हैं कि "परीक्षा के माध्यम से किसी को बाहर अथवा वंचित करने की बात गांधी, नेहरू और अंबेडकर को अंग्रेजों द्वारा बाहर कर देने की बात से भिन्न नहीं है।" भ्रामक व दुराग्रह से युक्त उपनिवेशवादी प्रभाव से आज भी हमारी चयन-प्रक्रिया मुक्त नहीं हो सकी है और योग्यता तथा कुशलता की संकीर्ण धारणा के चलते गांधी, नेहरू, जे.पी. और अंबेडकर जैसे(योग्य) व्यक्तियों-जो जनता के दुःख-दर्द को समझते थे-को बाहर किया जा रहा है।" क्या अंग्रेजों ने इन्हें किसी परीक्षा के माध्यम से बाहर किया था? या इन लोगों ने स्वयं परीक्षा में न बैठने का फैसला किया था और सरकारी विभागों में शामिल होने की बजाय कुछ और कर दिखाने का फैसला किया था?

लेकिन माननीय न्यायाधीश को यह सब सुनने की फुरसत ही कहाँ है! अब तो वह अपनी इस प्रकार की टिप्पणियों के विरोध को भी प्रत्येक नए विचार अथवा नई व्यवस्था को बिगाड़ने के युगों पुराने प्रयास के रूप में देखने लगे है-

विषयांतर करते हुए मैं यह टिप्पणी केवल उस तर्क का खंडन करने के उद्देश्य से ही कर रहा हूँ, जिसमें हरिजनों और गिरिजनों को अयोग्य अथवा निम्न स्तरीय बताया जाता है। इस सोच को छोड़कर समस्या के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नए विचार अथवा व्यवस्था को स्वीकार करने से पहले उसके प्रति विरोध जरूर प्रकट किया जाता रहा है। प्रत्येक मौलिक अवधारणा को स्वीकृत अथवा प्रचलित मत के विरूद्ध माना जाता रहा है।

निहित स्वार्थों और रूढ़ियों के लिए बलिदान

लेकिन जो सिलसिला चल पड़ा है-दो-तिहाई रिक्तियों पर आरक्षण; न भरी जा सकने वाली आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्षों तक आगे बढ़ाया जाता रहेगा; पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण दिया जाएगा-इससे तो यही लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी पद आरक्षित होंगे, यानी शत-प्रतिशत आरक्षण, सामान्य श्रेणी के कर्मचारी पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएँगे; सभी पदों पर भरती जन्म या जाति के आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर कोई भरती नहीं होगी। और वह दिन भी आ जाएगा तो क्या हुआ?

जी हाँ, माननीय न्यायाधीश कहते हैं-यह सच है कि श्री वेणुगोपाल, जो कुछ याचिकाकर्ताओं के विधिक सलाहकार हैं, ने यह संभावना प्रकट करने की कोशिश की कि आरक्षण की प्रतिशतता और आरक्षित रिक्तियों को(न भरी जा सकने की स्थिति में) अगले वर्ष के अलग से आरक्षित करने की व्यवस्था से कुछ ही वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का कुछ निश्चित श्रेणियों या पदों पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो सकता है। हमें 'हो सकता है' पर चिंतित नहीं होना चाहिए (अर्थात् हमें 'आशंका' से डरने की आवश्यकता नहीं है); बल्कि वास्तविक स्थिति के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। संविधान का संबंध सामाजिक वास्तविकता से है, न कि काल्पनिक संभावनाओं से।

जरा उन निर्णयों- निर्देशों को याद करें, जिन्हें हम इससे पहले दो संभावित भाइयों के मामले में देख-पढ़ चुके हैं। किसी भी मामले में, जैसा सरकारी अधिवक्ता ने कहा, न्यायाधीश महोदय स्वयं मानते हैं कि भेदमूलक असंवैधानिकता और असमानता वाले किसी समाज में पीड़ा सहे बिना वास्तविक समानता की स्थिति नहीं उत्पन्न की जा सकती और ऐसे में जब तक हम व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तब तक भेदमूलक असंवैधानिकता के कारण वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की वैधता प्रभावित नहीं हो सकती।

कुशलता-अकुशलता से संबंधित तर्क को वह व्यंग्यपूर्ण हँसी बताकर नजरअंदाज ही कर देते हैं।"यदि हरिजनों को (रेलवे से) बाहर कर दिया जाए तो क्या रेल दुर्घटनाएँ नहीं होंगी?" वह प्रश्न करते हैं।"न्यायालय इतने सहज-विश्वासी नहीं हैं।"

.. शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

हर इन्सान एक समान एक राष्ट्र एक जान मेरा भारत महान

राष्ट्रवादी मतदाताओं से समतावादी

:: अपील ::

''समता मिशन-59'' को जिताना है। देश को बचाना है।

महोदय/महोदया,

विनम्र निवेदन है कि आप यह भली भांति जानते है कि राजस्थान राज्य में समता आन्दोलन एक सशक्त राष्ट्रवादी संगठन है, जो देश को जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से मुक्त करवाकर सन्निकट जातिगत गृहयुद्ध से बचाने के लिए प्रयासरत है।

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान समता आन्दोलन के द्वारा आरक्षित वर्ग के उन प्रत्याशियों का सहयोग व समर्थन किया जाना है जो अपने क्षेत्र के मतदाताओं तथा समता आन्दोलन समिति को छः राष्ट्रवादी प्रस्तावों पर काम करने के लिए शपथपत्र देकर आश्वस्त करेंगे। इस राष्ट्रवादी अभियान को ''समता मिशन-59'' नाम दिया गया है। उपरोक्त राष्ट्रवादी छः प्रस्ताव निम्न है:- ,

1. एस.सी/एस.टी. वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करवायेंगे।
2. पदोन्नति में आरक्षण की अविधिक, असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण व्यवस्था दिनांक 01.04.1997 से समाप्त करते हुए संशोधित पदोन्नति सूचियाँ जारी करवायेंगे।
3. आरक्षण पीड़ित सामान्य/ओबीसी को नौकरी से वंचित होने पर संबंधित पद के नियमित वेतन की सौ गुणा मुआवजा राशि दिलवायेंगे। इसके बाद आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 प्रतिशत बोनस अंक भी दिलवायेंगे। इसी प्रकार किसी शैक्षणिक सीट (MBBS,IIT आदि) से वंचित होने पर आरक्षण पीड़ित सामान्य/ओबीसी को समान शैक्षणिक सीट की शिक्षा समान स्तर के निजी शिक्षण संस्थान से सरकारी खर्चे पर दिलवाई जाकर क्षतिपूर्ति की जावेंगी।
4. विधानसभा एवं लोकसभा में एस.सी./एस.टी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दिया जा रहा अप्रजातांत्रिक, अविधिक एवं असंवैधानिक सीटों का आरक्षण बंद करवायेंगे तथा मान्यता प्राप्त राजनेतिक दलों को निर्धारित कोटे में एससी/एसटी को टिकटों का आरक्षण देने के लिए कानूनन बाध्य किया जावेगा।
5. एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के अधीन बिना जांच किये गिरफ्तारी पर रोक लगवाई जावेंगी।
6. समता विधायक सलाहकार परिषद की राष्ट्रवादी एवं विकासवादी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए सभी विधायकों को प्रजातांत्रिक तरीके से पाबन्द किया जावेगा।

इस क्रम में राष्ट्रीय स्तर के दस राजनैतिक दलों तथा राजस्थान में आरक्षित 59 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को पंजीकृत पत्र भेजकर आग्रह किया जा चुका है कि समता आन्दोलन समिति को शपथपत्र देकर आश्वस्त करते हुये उक्त छः प्रस्तावों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। यह पत्र सभी 790 सांसदो एवं राजस्थान के 200 विधायकों को भी भेजा गया है। केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकारों को तथा राजस्थान के 59 आरक्षित विधायको को पंजीकृत पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उपरोक्त सभी छः प्रस्तावों को राज्य एवं केन्द्र में लागू करवाया जावें। कहीं से कोई जबाव नहीं है। सभी की बोलती बन्द है। जातिवादी राजनीति के आगे राजधर्म, न्यायप्रणाली और भारतीय संविधान लाचार और असहाय है। देश तेजी से जातिगत गृहयुद्ध की ओर बढ रहा है। जिसे रोकने में केन्द्र और राज्य सरकारें अक्षम साबित हो रही है।

इसीलिए समता आन्दोलन समिति द्वारा जातिवादी राजनीति को समाप्त करके विकासवादी राजनीति को स्थापित करने, जातिवादी राजनेताओं को भारतीय राजनीति से अलग करके समता व सद्भाव बढाने, वंचित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े को आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण से पीड़ित सामान्य व ओबीसी वर्ग के युवाओं को समुचित मुआवजा दिलाने तथा प्रजातंत्र को पारदर्शी, मजबूत व सतत् सक्रिय बनाने के उद्देश्य से **''समता मिशन-59''** की घोषणा की गयी है।

अतः सभी राष्ट्रवादी मतदाताओं से अपील है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से समता आन्दोलन से समर्थित उम्मीदवार को अपना सहयोग, समर्थन एवं मत देकर विजयी बनावें। आरक्षित सीटों पर जातिवादी राजनेता के स्थान पर स्वयं का राष्ट्रवादी प्रतिनिधि चुने। देश में एक शान्त प्रजातांत्रिक क्रान्ति के भागीदार बने।

''समता मिशन-59 (+ प्लस)''

राजस्थान विधानसभा की शेष 141 सीटों पर **''समता मिशन-59 (+ प्लस)''** के तहत जो प्रत्याशी समता आन्दोलन समिति के उपरोक्त छः राष्ट्रवादी प्रस्तावों पर शपथपत्र देता है उन्हें समता आन्दोलन समर्थन देने की घोषणा करेगा।

निवेदक

समता आन्दोलन समिति

www.samtaandolan.co.in

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, स्वातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in